भारत का राजपत्र
असाधारण
भाग III - धारा 4
भारतीय रिज़र्व बैंक के
प्राधिकार से प्रकाशित

अधिसूचना

मुंबई, 16 अक्तूबर 2012

जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-जे, 45-के और 45-एल द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसकी ओर से प्रदत्त सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए 11 दिसंबर 1989 की अधिसूचना आईईसीडी 1/87(सीपी)-89/90 द्वारा गैर-बैंकिंग कंपनियाँ (वाणिज्यिक पेपर के माध्यम से जमाराशियों की स्वीकृति) निदेश 1989 अधिसूचित करता है;

और जबकि उक्त निदेश क्रमश: 6 सितंबर 1996 की अधिसूचना सं.आईईसीडी.14/08.15.01/ 1996-97; 17 जून 1998 की अधिसूचना सं.आईईसीडी.21/08.15.01/1997-98 और 10 अक्तूबर 2000 की अधिसूचना सं.आईईसीडी.3/08.15.01/2000-01 द्वारा समय-समय पर संशोधित किये गये हैं;

और जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45 डब्ल्यू यह प्रदान करती है कि बैंक जनहित में अथवा देश के लाभ में उसकी वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने के लिए ब्याज दरों अथवा ब्याज दर उत्पादों और सभी एजेंसियों अथवा उनमें से किसी एक को निदेश जारी करने, प्रतिभूतियों, मुद्रा बाज़ार लिखतों, विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नों अथवा उसी प्रकार के अन्य लिखतों, जैसे बैंक समय-समय पर विनिर्दिष्ट करेगा, में लेन-देन करने से संबंधित नीति निर्धारित करे;

और जबकि वाणिज्यिक पेपर, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45 डब्ल्यू के प्रयोजनों के लिए "मुद्रा बाज़ार लिखत" है;

अतः अब धारा 45 जे, 45के, 45 एल और 45 डब्ल्यू के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और यहाँ पर इसके पहले संदर्भित अधिसूचनाओं और इससे पहले इस विषय पर इस ओर से जारी अन्य सभी अनुदेशों के अधिक्रमण में, भारतीय रिज़र्व बैंक आवश्यक प्रतीत होने पर जनहित में और बैंक को, देश के लाभ में ऋण और वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए संतुष्ट होने पर एतद् द्वारा निम्नलिखित निवेश जारी करता है :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक पेपर निदेश 2012 कहा जाएगा और वे

राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषा

इन अनुदेशों के प्रयोजन के लिए और जबतक अन्यथा इस संबंध में आवश्यकता नहीं होगी ।

(क) "भारिबैं" का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक है ।

(ख) "बैंक" का अर्थ है "बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (सी) में परिभाषित के अनुसार एक बैंकिंग कंपनी अथवा उसके क्रमशः खंड (डीए), खंड (एनसी) और खंड (एनडी) में परिभाषित के अनुसार "तदनुरूपी नया बैंक" "भारतीय स्टेट बैंक" अथवा एक "सहायक बैंक" और उक्त अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 के खंड (सीसीआई) में परिभाषित के अनुसार "सहकारी बैंक" ।

(ग) "अनुसूचित बैंक" का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल कोई भी बैंक ।

(घ) "अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान" (एफआई) का अर्थ है समय-समय पर संशोधित एक्सपोज़र मानदंडों पर 2 जुलाई 2012 के भारिबैं मास्टर परिपत्र डीबीओडी.सं.डीआईआर.बीसी.3/13.03.00/2012-13 के अनुबंध 3 की निर्दिष्ट सूची में विनिर्दिष्ट अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान ।

(ड.) प्राथमिक व्यापारी (पीडी) का अर्थ है ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो समय-समय पर संशोधित के अनुसार जारी 29 मार्च 1995 के "सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में पीडी के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों" के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राथमिक व्यापारी के रूप में प्राधिकरण का वैध पत्र रखती हो ।

(च) "कंपनी" का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में परिभाषित किये गये अनुसार एक कंपनी ।

(छ) जारीकर्ता और भुगतान करनेवाला एजेंट (आईपीए) का अर्थ है आईपीए के रूप में कार्यरत अनुसूचित बैंक ।

(ज) "सीआरए" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ दर्ज़ की गई ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) ।

(झ) "सीपी" का अर्थ है इन निदेशों के अनुसरण में जारी किया गया वाणिज्यिक पेपर।

(ट) यहाँ पर प्रयोग में लाये गये, पर परिभाषित न किये गये और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में परिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियों का अर्थ उक्त अधिनियम

में दिये गये उनके उसी अर्थ के समान होगा ।

3. वाणिज्यिक पेपर (सीपी) को जारी करने के लिए पात्रता

(क) कंपनियों, प्राथमिक व्यापारियों और एफआई के लिए पैरा 4 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समग्र सीमाओं के भीतर वाणिज्यिक पेपर के माध्यम से लघु अवधि संसाधन जुटाने की अनुमति है ।

(ख) कोई भी कंपनी वाणिज्यिक पेपर जारी करने के लिए पात्र होगी बशर्तेः

(i) कंपनी का मूर्त शुद्ध मूल्य हाल ही के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार 4 करोड़ रुपये से कम न हो;

(ii) कंपनी के लिए बैंक/बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा कार्यशील पूँजी स्वीकृत की गई हो और

(iii) कंपनी के उधार खाते को वित्तपोषक बैंक/संस्था द्वारा मानक आस्ति के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया हो ।

4. वाणिज्यिक पेपर जारी करना - ऋण वृद्धि, सीमा आदि

(क) वाणिज्यिक पेपर 'स्वतंत्र' (स्टँड अलोन) उत्पाद के रूप में जारी किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए वाणिज्यिक पेपर जारीकर्ताओं के लिए आपाती सुविधा प्रदान करना किसी भी तरीके से बाध्यकारी नहीं होना चाहिए ।

(ख) बैंक और वित्तीय संस्थाएँ अपने वाणिज्यिक निर्णय पर आधारित, उन्हें लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन, अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन के साथ आपाती सहायता/ऋण प्रदान करना, बॅक-स्टॉप सुविधा आदि वाणिज्यिक पेपर जारी करने के लिए ऋण वृद्धि के उपाय से चुन सकते हैं ।

(ग) गैर-बैंकिंग इकाइयों (कंपनियों को मिलाकर) वाणिज्यिक पेपर जारी करने के लिए ऋण वृद्धि के लिए बिनाशर्त और अविकल्पी गारंटी प्रदान कर सकते हैं बशर्ते

(i) जारीकर्ता वाणिज्यिक पेपर जारी करने के लिए अर्हता मानदंड पूरा करे ।

(ii) गारंटीदाता को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जारीकर्ता से एक नोच उच्चतर क्रेडिट रेटिंग दी गई हो ।

(iii) वाणिज्यिक पेपर के लिए प्रस्ताव दस्तावेज में गारंटीदाता कंपनी का शुद्ध मूल्य, उन कंपनियों के नाम जिनको गारंटीदाता ने समान गारंटियाँ जारी की हों, गारंटीदाता कंपनी द्वारा प्रस्तावित गारंटियों की सीमा और वे शर्तें जिसके अंतर्गत गारंटियाँ बुलायी जाएंगी, उचित रूप से प्रकट किया गया हो ।

(घ) वाणिज्यिक पेपर की सकल राशि जो जारीकर्ता द्वारा जारी की जा सकती है, वह हमेशा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमा के भीतर अथवा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा विनिर्दिष्ट रेटिंग के लिए निर्दिष्ट मात्रा, जो भी कम हो, होनी चाहिए ।

(ड.) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को वाणिज्यिक पेपर सहित कंपनी के वित्तपोषण के संसाधन नमूने को विधिवत ध्यान में लेते हुए कार्यशील पूँजी सीमाओं को निर्धारित करने की लोचनीयता होनी चाहिए ।

(च) वित्तीय संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक पेपर का निर्गम भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने के मानदंडों पर समय-समय पर निर्धारित/अद्यतन किये गये जारी मास्टर परिपत्र में निर्धारित समग्र सीमा के भीतर हो ।

(छ) जारी किये जाने के लिए प्रस्तावित वाणिज्यिक पेपर की कुल राशि जिस तारीख को जारीकर्ता अंशदान के लिए निर्गम खोलता है उस तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर जुटाना चाहिए । वाणिज्यिक पेपर किसी एक ही तारीख को अथवा विभिन्न तारीखों के भागों में जारी किया जाए बशर्ते बादवाले मामले में प्रत्येक वाणिज्यिक पेपर की परिपक्वता तारीख एक ही हो ।

(ज) प्रत्येक वाणिज्यिक पेपर के निर्गम को और किसी भी वाणिज्यिक पेपर के प्रत्येक नवीकरण को नया निर्गम माना जाए ।

5. वाणिज्यिक पेपर में निवेश के लिए पात्रता

(क) व्यक्ति, बैंक, अन्य कंपनी निकाय (भारत में पंजीकृत अथवा निगमित) और अनिगमित निकाय, अनिवासी भारतीय और विदेशी संस्थागत निवेशक वाणिज्यिक पेपर में निवेश करने के लिए पात्र हैं ।

(ख) विदेशी संस्थागत निवेशक वाणिज्यिक पेपर में निवेश करने के लिए पात्र हैं बशर्ते

(i) ऐसी स्थितियाँ उनके लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा बनाई गई हो

(ii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, विदेशी मुद्रा (जमाराशि) विनियमन, 2000 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किसी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियम, 2000, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया हो के उपबंधों का अनुपालन ।

6. लिखत का फॉर्म, जारीकरण का प्रकार और प्रतिदान

6.1. स्वरूप

(क) वाणिज्यिक पेपर एक प्रॉमिसरी नोट के रूप जारी किया जाना चाहिए (अनुसूची I में इस दिशा में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार) और सेबी द्वारा अनुमोदित और सेबी के साथ पंजीकृत किसी भी निक्षेपागार के माध्यम से भौतिक रूप में अथवा डिमटेरियलाइज्ड़ रूप में रखा गया हो बशर्ते भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित इकाइयाँ वाणिज्यिक पेपर में लेन-देन कर सकें और उन्हें ऐसे निक्षेपागार के माध्यम से केवल डिमटेरियलाइज्ड़ रूप में रख सकें ।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित इकाइयों द्वारा सभी नये निवेश केवल डिमटेरियलाइज्ड़ रूप में होने चाहिए ।

(ग) वाणिज्यिक पेपर 5 लाख रूपये के मूल्यवर्ग और उसके गुणकों में जारी किये जाने चाहिए । एकल निवेशक द्वारा निवेश की गई राशि 5 लाख रूपये से (अंकित मूल्य) कम नहीं होनी चाहिए ।

(घ) वाणिज्यिक पेपर अंकित मूल्य के बट्टे पर जारी किया जाए जैसा कि जारीकर्ता द्वारा निर्धारित किया जाए ।

(ड.) किसी भी जारीकर्ता को वाणिज्यिक पेपर का निर्गम हामींदारीकृत अथवा सह-स्वीकृत नहीं होगा ।

(च) ऑपशन्स (कॉल/पुट) वाणिज्यिक पेपर में अनुमत नहीं है ।

6.2. तात्पर्य

(क) वाणिज्यिक पेपर जारी करने की तारीख से न्यूनतम 7 दिवस और अधिकतम एक वर्ष तक की परिपक्वताओं के लिए जारी किए जाएं ।

(ख) वाणिज्यिक पेपर की परिपक्वता की तारीख उस तारीख से परे नहीं जानी चाहिए जिस तारीख तक जारीकर्ता की क्रेडिट रेटिंग वैध हो ।

6.3. जारी करने के लिए प्रक्रिया

(क) प्रत्येक जारीकर्ता को वाणिज्यिक पेपर के जारीकरण के लिए आईपीए नियुक्त करना चाहिए ।

(ख) जारीकर्ता को चाहिए कि वे संभाव्य निवेशकों को उनके मानक बाज़ार मूल्य के अनुसार उसकी अद्यतन वित्तीय स्थिति स्पष्ट करें ।

(ग) निवेशक और जारीकर्ता के बीच लेन-देन की पुष्टि का विनिमय के बाद, जारीकर्ता को आईपीए के माध्यम से निक्षेपागार के साथ निवेशक के डिमैट खाते में

वाणिज्यिक पेपर जमा करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए ।

(घ) जारीकर्ता को आईपीए से प्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति निवेशक को देनी चाहिए कि जारीकर्ता ने आईपीए के साथ वैध करार किया है और दस्तावेज सही हैं । (अनुसूची II)

6.4. रेटिंग आवश्यकता

पात्र सहभागियों/जारीकर्ताओं को सेबी द्वारा पंजीकृत किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से वाणिज्यिक पेपर के जारीकरण के लिए क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करनी चाहिए । न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग, रेटिंग सिम्बॉल के अनुसार ए-3 और सेबी द्वारा परिभाषित होनी चाहिए। जारीकर्ता को वाणिज्यिक पेपर जारी करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राप्त किया गया रेटिंग वर्तमान में किया गया हो और उसकी पुनरीक्षा का समय नहीं आया हो।

6.5. निवेश/प्रतिदान

(क) वाणिज्यिक पेपर में निवेशक (प्राथमिक अंशदाता) को चाहिए कि वह आईपीए के माध्यम से जारीकर्ता के खाते में वाणिज्यिक पेपर के भुनाए गए मूल्य को अदा करें ।

(ख) भौतिक रूप में वाणिज्यिक पेपर धारण करनेवाले निवेशक को, परिपक्वता के बाद, आईपीए के माध्यम से जारीकर्ता को भुगतान के लिए लिखत प्रस्तुत करना चाहिए ।

(ग) डिमटेरियलाइज्ड़ रूप में वाणिज्यिक पेपर के धारक को वाणिज्यिक पेपर का प्रतिदान और उससे संबंधित भुगतान आईपीए के माध्यम से करें ।

6.6. प्रलेखन प्रक्रिया

(क) वाणिज्यिक पेपर जारी करने के लिए मानकीकृत क्रियाविधि और प्रलेखन अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज) संघ (फिमडा) के परामर्श से निर्धारित किए गए हैं ।

(ख) जारीकर्ता/आईपीएज़ को भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के साथ समय-समय पर फिमड़ा द्वारा जारी परिचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए।

7. वाणिज्यिक पेपर का व्यापार और निपटान

(क) वाणिज्यिक पेपर में सभी ओटीसी व्यापार के बारे में व्यापार के 15 मिनट के भीतर फिमडा रिपोर्टिंग मंच को रिपोर्ट करना चाहिए ।

(ख) वाणिज्यिक पेपर में ओटीसी व्यापार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के समाशोधन गृह के माध्यम से निपटाए जाने चाहिए अर्थात् दी नेशनल सिक्युरिटीज क्लियरिंग कारपोरेशन लिमि. (एनएससीसीएल) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) अर्थात् इंडियन क्लियरिंग कारपोरेशन लिमि. (आइसीसीएल) के माध्यम से निपटाएँ गए हो ।

(ग) ओटीसी व्यापारों के लिए निपटान चक्र या तो टी + 0 होना चाहिए अथवा टी + 1 हो

8. वाणिज्यिक पेपर की पुनर्खरीद

(क) जारीकर्ता उनके द्वारा निवेशकों को जारी किए गए वाणिज्यिक पेपरों की परिपक्वता से पूर्व पुनर्खरीद कर सकते हैं ।

(ख) वाणिज्यिक पेपर की पुनर्खरीद गौण बाजार के माध्यम से और प्रचलित बाज़ार दर पर की जानी चाहिए ।

(ग) वाणिज्यिक पेपर जारी करने की तारीख से 7 दिन की न्यूनतम अवधि से पूर्व वापस नहीं लाना चाहिए ।

(घ) जारीकर्ता को, की गई पुनर्खरीद के बारे में आईपीए को सूचित करना चाहिए ।

(ड.) वाणिज्यिक पेपर की पुनर्खरीद निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त होने पर की जानी चाहिए ।

9. ड्यूटियाँ और बाध्यताएँ

जारीकर्ता, आईपीए और सीआरए की ड्यूटियाँ और बाध्यताएँ नीचे निर्धारित की गई हैं :-

I. जारीकर्ता

जारीकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वाणिज्यिक पेपर के जारीकरण के लिए निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांन्त और क्रियाविधिओं का कड़ाई से पालन किया जाता है ।

II. आईपीए

(क) आईपीए को सुनिश्चित करना चाहिए कि जारीकर्ता को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार न्यूनतम आवश्यक क्रेडिट रेटिंग है और वाणिज्यिक पेपर के जारी करने के माध्यम से संग्रहित राशि विनिर्दिष्ट रेटिंग के लिए सीआरए द्वारा निर्दिष्ट मात्रा अथवा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित, जो भी कम हो, के भीतर है।

(ख) आईपीए को यह प्रमाणित करना चाहिए कि उसने जारीकर्ता (अनुसूची II) के साथ वैध करार किया गया है ।

(ग) आईपीए को यह सत्यापित करना चाहिए कि जारीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अर्थात बोर्ड संकल्प की प्रतियाँ, प्राधिकृत निष्पादकों के हस्ताक्षर (जब वाणिज्यिक पेपर भौतिक रूप में जारी किया गया हो) सही है और इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए ।

(घ) आईपीए द्वारा सत्यापित मूल-दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ, आईपीए की अभिरक्षा में रखी जानी चाहिए ।

(ड.) आईपीए के रूप में कार्यरत सभी अनुसूचित बैंकों को वाणिज्यिक पेपर के जारीकरण की तारीख से दो दिन के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के ऑनलाइन रिटर्न्स फाइलिंग सिस्टम (ओआरएफएस) मॉड्यूल पर वाणिज्यिक पेपर के जारीकरण के ब्योरे रिपोर्ट करने चाहिए ।

(च) आईपीएज़ को वाणिज्यक पेपर के पुनर्भुगतान में चूक होने पर उसके संपूर्ण ब्योरे मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाज़ार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400 001 (reportfmd@rbi.org.in) को इन निदेशों की अनुसूची III में दिए गए फार्मेट में रिपोर्ट करना चाहिए ।

(छ) आईपीएज़ को जारीकर्ता द्वारा वाणिज्यिक पेपर की पुनर्खरीद के सभी मामले भी मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाज़ार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400 001 (reportfmd@rbi.org.in) को इन निदेशों की अनुसूची IV में दिए गए फार्मेट में रिपोर्ट करना चाहिए ।

III. सीआरए

(क) सीआरएज़ को पूंजी बाज़ार लिखत के रेटिंग करने के लिए सीआरए के लिए सेबी द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करना चाहिए जो वाणिज्यिक पेपर के रेटिंग के लिए लागू होगी ।

(ख) सीआरएज़ को जारीकर्ता की क्षमता के बारे में उनके बोध पर निर्भर रेटिंग की वैधता अवधि निर्धारित करने के लिए विवेकाधिकार होना चाहिए और रेटिंग के समय उन्हें स्पष्ट रूप से यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि क्या रेटिंग की समीक्षा का समय हो गया है ।

(ग) सीआरएज़ को जारीकर्ताओं को दिए गए रेटिंग की सूक्ष्म रूप से निगरानी रखनी चाहिए और साथ-साथ नियमित अंतराल पर रिकार्ड का ध्यान रखना चाहिए तथा उनके प्रकाशन और वेबसाइट के माध्यम से रेटिंग्ज में संशोधन करने चाहिए ।

10. **कुछ अन्य निदेशों का लागू न होना**

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ सरकारी जमाराशियों की स्वीकार्यता (रिज़र्व बैंक) निवेश, 1998 में अंतर्निहित, कोई भी तथ्य इन निदेशों के अनुसरण में किसी भी वाणिज्यिक पेपर के निर्गम द्वारा, किसी भी गैंर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशियों की स्वीकार्यता के लिए लागू नहीं होगा ।

11. सभी वर्तमान निदेश और मार्गदर्शी सिद्धांत तत्काल प्रभाव से अधिक्रमित हो गये हैं परंतु उन वाणिज्यिक पेपरों को लागू होना जारी रहेगा जो लागू होने की तदनुरूपी तारीखों से पहले जारी किये गए हों ।

(आर. गांधी)
कार्यपालक निदेशक

आंक्रप्रवि.पीसीडी. 1284/14.01.02/2012-13

अनुसूची I

(पैरा 6.1.ए देखें)

वाणिज्यिक पेपर (सीपी) का प्रोफार्मा)

जिस राज्य में जारी किया जाना है वहाँ लागू दर के अनुसार स्टाम्प लगाया जाए

(जारीकर्ता कंपनी/संस्था का नाम)

क्रम सं.

_____ में जारी किया गया जारी करने की तारीख _____

(स्थान)

परिपक्वता की तारीख _____ अनुग्रह दिनों के बिना ।

(यदि ऐसी तारीख अवकाश के दिन आती हो, तो भुगतान तत्काल अगले कार्यदिवस को किया जाना चाहिए)

प्राप्त मूल्य के लिए _____ एतद्द्वारा _____

(जारीकर्ता कंपनी/संस्था) (निवेशक का नाम)

को अथवा ऊपर विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार परिपक्वता की तारीख को इस वाणिज्यिक पेपर को _____ को इस वाणिज्यिक पेपर को प्रस्तुत करने और

(जारीकर्ता और अदाकर्ता एजेंट का नाम)

लौटाने पर रु._____ (शब्दों में) की राशि अदा करने का वचन देती है ।

_____ के लिए और की ओर से

(जारीकर्ता कंपनी/संस्था का नाम)

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता - एक या अधिक)

इस वाणिज्यिक पेपर पर सभी परांकन स्वच्छ और सुस्पष्ट होने चाहिए । प्रत्येक परांकन उसके लिए आबंटित जगह के भीतर लिखा जाना चाहिए ।

_____ अथवा नामक के भीतर राशि

(अंतरिती का नाम)

के लिए और की ओर से

_____

(अंतरित करनेवाले का नाम)

_____

1.

2.

3.

4.

अनुसूची II

(पैरा 6.3.डी/9.II.बी देखें)

आईपीए प्रमाणपत्र

हमारे पास _____ के साथ वैध आईपीए प्रमाणपत्र् है ।
(जारीकर्ता कंपनी/संस्था का नाम)

2. हमने दस्तावेज अर्थात् बोर्ड संकल्प और (*जारीकर्ता कंपनी/संस्था का नाम*) द्वारा प्रस्तुत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जारी प्रमाणपत्र सत्यापित किया है और हम यह प्रमाणित करते हैं कि दस्तावेज सही हैं । मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ हमारी अभिरक्षा में रखी गयी हैं ।

3. *हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि रु. _____ (_____रुपये) (शब्दों में) के लिए क्रम सं. _____ दिनांक _____ के संलग्न वाणिज्यिक पेपरों के निष्पादकों के हस्ताक्षर (*जारीकर्ता कंपनी/संस्था*) द्वारा भरे गये नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल खाते हैं ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता - एक या अधिक)

(जारीकर्ता और अदाकर्ता का नाम और पता)

पता :

तारीख :

* (भौतिक रूप में वाणिज्यिक पेपर के लिए लागू/जो लागू न हो उसे काट दें)

अनुसूची III

(पैरा 9.II.एफ देखें)

वाणिज्यिक पेपर (सीपी) की चुकौती में हुई चूक का विवरण

जारीकर्ता का नाम	सीपी जारी करने की तिथि	राशि (करोड रुपए में)	चुकौती की रेटिंग	प्रारंभिक रेटिंग	अद्यतन क्रेडिट रेटिंग	क्या सीपी के निर्गम को आपात सहायता/ ऋण बैक स्टॉप सुविधा/ गारंटी उपलब्ध है	यदि हाँ तो, कॉलम (7) में उल्लिखित सुविधा किस इकाई ने प्रदान की है	क्या कॉलम (7) में उल्लिखित सुविधा दी गई है और भुगतान किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता - एक या अधिक)

अनुसूची IV

(पैरा 9.II.जी देखें)

वाणिज्यिक पेपर की पुनर्खरीद रिपोर्टिंग

व्यापार की तारीख	जारीकर्ता	आईएसआईएन	जारी करने की तारीख	परिपक्वता की तारीख	राशि (करोड़ रुपये में)	# पुनर्खरीद का स्वरूप

यदि जारीकर्ता द्वारा वाणिज्यिक पेपर निष्प्रभ कर दिया हो, तो उसे निर्दिष्ट करें ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता - एक या अधिक)